कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी उत्तर प्रदेश।
17 न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।
गन्ना किसान भाईयो हेतु टोल फ्री नम्बर–1800–121–3203
Email-2012.jtcclko@gmail.com

पत्रांकः 811/1003/C /विकास अनुभाग/लखनऊः दिनांक. 13/08/2020

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिलें, उ.प्र.।

विषयः प्रदेश के गन्ना कृषकों में वितरित किये गये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुरूप उर्वरकों के प्रयोग के संबंध मे।

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर द्वारा प्रदेश के गन्ना कृषकों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार वितरित किये गये उर्वरकों के प्रभाव के संबंध में अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि. यूनिट–रौजा, जिला शाहजहॉपुर के सभी क्रय केन्द्र, बीज एवं सम्वर्धन केन्द्र गोला जिला लखीमपुर के ग्राम–विलियमगंज तथा बीज एवं सम्वर्धन केन्द्र अमहट (सुल्तानपुर) के चयनित ग्राम–दुवेपुर में मृदा नमूनों का परीक्षण कर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

उपलब्ध करायी गयी मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि अधिकांश मृदा नमूनों में मृदायें समक्षारीय प्रकृति की है जिनका मृदा पी.एच. लेबल 7.04 (सामान्य) पाया गया। कैल्सियम कार्बोनेट, पोटाश, सल्फर, आयरन व कापर का प्रतिशत भी सामान्य स्तर पर पाया गया। जबकि मृदा में आर्गेनिक कार्बन का स्तर सामान्य से नीचे 4.30kg/ha, फास्फोरस तत्व का स्तर सामान्य से बहुत नीचे 9.75 kg/ha तथा मैगनीज तत्व का स्तर सामान्य से बहुत कम 1.72mg/kg पाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि मृदा में आर्गेनिक कार्बन व नाईट्रोजन, फास्फोरस तत्व तथा मैगनीज की कमी है। फलस्वरूप गन्ने की उत्पादकता कम प्राप्त होने के साथ ही गन्ने की प्रतिरोध क्षमता में भी कमी आ सकती है।

उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मृदा में **आर्गेनिक कार्बन व नाईट्रोजन** की कमी के दृष्टिगत फसल अवशेषों को नष्ट अथवा जलाया न जाय बल्कि फसल अवशेषों को ट्रैंश मल्चिंग किया जाये, जिससे कि कालान्तर में फसल अवशेष कार्बनिक खाद के रूप में परिवर्तित हो जायें और मृदा में आर्गेनिक कार्बन, नाईट्रोजन तथा अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा विद्यमान रहे। जिस भूमि में **फास्फोरस तत्व** का स्तर कम पाया जाता है उसमें कृषकों द्वारा DAP 150KG प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाय, जिससे कि फास्फोरस तत्व की आवश्यक मात्रा की पूर्ति मृदा में हो सके। जिस भूमि में **मैगनीज तत्व** की कमी पायी जाती है उसमें

10kg मैंगनीज सल्फेट ($MNSO_4$) प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाय, जिससे कि मृदा में मैगनीज तत्व की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहे।

उक्त के अतिरिक्त कृषकों को बायोफर्टीलाईजर, गोबर की खाद एवं हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिये जाने के साथ ही उचित फसल चक्र अपनाये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित कराया जाय। यह भी ध्यान रखा जाय कि विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संस्तुति के आधार पर ही उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया जाय, ताकि अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग में कमी के साथ ही कृषि लागत में कमी आये और गन्ने से अधिकाधिक उपज एवं चीनी परता प्राप्त हो। किसी भी स्तर से बिना मृदा कार्ड के संस्तुति के उर्वरक वितरण संज्ञान में आता है तो उसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः– ग्रा/1603/C तद्दिनांकः 13/08/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
3. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, 9 ए. राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

(आर. पी. यादव)
अपर गन्ना आयुक्त(विकास)